रामगंजमण्डी

.20 | पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित श्री
पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन एवं

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
	अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, अंकित कथन, वांछित अनुतोष, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का सम्यक अवलोकन उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर सम्यक विचार किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादी की वल्दियत गणेश है, किन्तु सहवन से जगदीश अंकित कर दिया है, अतः खाते में शुद्धानुसार वल्दियत गणेश दर्ज की जावे। प्रकरण के अवलोकन उपरान्त यह पाया जाता है, कि ग्राम मवासा की जमाबंदी संवत 2053-57 खाता नं. १५४ में खसरा नं० ६२६ (कबा ५) राधेश्याम पुत्र गणेश के नाम पर दर्ज है। संवत 2041-44 के खाता नम्बर १७६ पर भी खसरा नं. ६२६ (कबा ५) भूमि राधेश्याम पुत्र गणेश के नाम पर दर्ज थी हाल कार्ड मिलान 2005-2024 मुताबिक खसरा नम्बर ६२६ (कबा ५) के हाल खसरा नम्बर ८३५ रकबा 0.८१ हैक्टर पैमाइश कायम किये गये है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमाबंदी संवत 2057-60 (खाता) नम्बर 183 पर खसरा नम्बर 826 (रकबा ..) पर राधेश्याम पुत्र गणेश के स्थान पर राधेश्याम पुत्र जगदीश दर्ज करने के उपरान्त शुद्धि पत्र से जगदीश के स्थान पर पुनः गणेश शुद्ध किया गया।	
	परन्तु दान जमाबंदी सं. 2074-77 की जमाबंदी खाता नं० 226 पर वादी के पिता का नाम पुनः गणेश के स्थान पर जगदीश दर्ज कर दिया गया है। आधार कार्ड नम्बर 2280,8942,6037 में राधेश्याम की वल्दियत गणेश ही दर्ज है।	
	उक्त त्रुटि clarical mistake (लेखकीय त्रुटि) की श्रेणी में आती है, जिसे दुरुस्त किया जाना उचित पाया जाता है।	
	अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम मवासा की भूमि ख. नं. 835 रकबा 0.81 हे० पर वादी की वल्दियत जगदीश के स्थान पर गणेश दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो।	
	निर्णय आज दिनांक 20/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(देवाल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	